लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 25 अप्रैल, 2016/5 वैशाख, 1938 (शक)

संख्या 144

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सातवीं, आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री बीरबल; ग्याहरवीं लोक सभा से चौदहवीं लोक सभा तक के सदस्य श्री लालमुनि चौबे; आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री आनन्द गजपति पूसापति राजू और नौवीं से ग्याहरवीं लोक सभा के सदस्य डॉ॰ सी॰ सिलवरा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया:

(एक) दिनांक 22.3.2016 को बूसेल्स में हुआ आतंकी हमला।

(दो) दिनांक 16.4.2016 को इक्वाडोर में भूकम्प के कारण 600 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु।

(तीन) जापान में भूकम्प के कारण लगभग 100 व्यक्तियों की कथित मृत्यु।

(चार) दिनांक 30.3.2016 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए आतंकी हमले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सात जवानों का मारा जाना।

(पांच) दिनांक 31.3.2016 को कोलकाता ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर के एक भाग के ढह जाने के दौरान 27 व्यक्तियों की कथित मृत्यु और 80 व्यक्तियों का घायल होना।

(छह) दिनांक 10.4.2016 को केरल के कोल्लम में एक मंदिर में पटाखे के विस्फोट के कारण 122 व्यक्तियों की मृत्यु और कई अन्य व्यक्तियों का घायल होना।

(सात) दिनांक 17.4.2016 को उड़ीसा के देवगढ़ जिले में एक बस के खाई में गिरने के कारण एक बालक सहित 30 व्यक्तियों की कथित मृत्यु और 8 अन्य व्यक्तियों का घायल होना।

(आठ) दिनांक 23.4.2016 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हुए भूस्खलन में 19 व्यक्तियों की कथित मृत्यु।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1—5 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 6—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वित्तीय प्राक्कलन और कार्य निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अधीन न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016, जो 11 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 447(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 150(अ), जो 18 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2877 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह-लद्दाख के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत के राष्ट्रपति द्वारा 31 मार्च, 2016 को प्रख्यापित उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 2)।

(दो) भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 अप्रैल, 2016 को प्रख्यापित शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण), दूसरा अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 3)।

(9) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन उत्तराखंड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2016 को प्रख्यापित अध्यादेश की घोषणा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अधीन दिनांक 27 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 341(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 2016 को दिए गए आदेश जो 27 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 342(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा 26 मार्च, 2016 को राष्ट्रपति को भेजे गए प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश कौशिक ने रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पिनाकी मिश्रा ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

8. डॉ॰ संजय जायसवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि सभा द्वारा 20 फरवरी, 2016 को दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र, 2016 के दूसरे भाग के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक दिए गए समय विस्तार को वर्तमान सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाया गया माना जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा के तीन सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

9. डॉ॰ संजय जायसवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री आनंद शर्मा के राज्य सभा से त्याग-पत्र देने तथा डॉ॰ भालचन्द्र मुंगेकर और श्री नरेश गुजराल के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सभा के तीन सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.07 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

(i) सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड़गे और भर्तृहरि महताब ने निर्वाचित राज्य सरकारों को अस्थिर करने के कथित प्रयासों द्वारा संविधान की अवहेलना किए जाने के बारे में निवेदन किए।

श्री राजराथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.57 बजे

(ii) सर्वश्री रिचर्ड हे और के॰सी॰ वेणुगोपाल ने केरल के कोल्लम में एक मंदिर में आतिशबाजी से हुई दुर्घटना के बारे में निवेदन किए।

श्री एम॰ वैंकय्या नायडू ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.05 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.15 *बजे पुन: समवेत हुई*।)

अपराह्न 2.15 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 1.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे––

(1) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के संबंध में राजस्थान सरकार की राज्य कार्य योजना का शीघ्र अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कीर्ति आजाद द्वारा उत्तर बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड में उत्तर कोयल जलाशय परियोजना एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा निर्माण कार्य से जुड़े कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झाररखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 एवं 98 के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में डिसेलिनेशन प्लान्ट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हुकुम सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सी॰आर॰ चौधरी द्वारा प्याज के न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक हजार रुपए प्रति टन निर्धारित किए जाने एवं ग्वार हेतु लाभकारी मूल्य प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश के खेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को जैविक कृषि हेतु तकनीकी जानकारी एवं विशेषज्ञता उपलब्ध कराने हेतु एक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र में विशेषकर वर्धा एवं अमरावती जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिलों में भीषण सूखे की स्थिति से प्रभावित सभी किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ उदित राज द्वारा देश में जल की कमी को दूर करने हेतु वर्षा जल संचयन एवं नदियों को आपस में जोड़ने पर बल दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री प्रह्लाद जोशी द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु अनुदान राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में कर्नाटक के काडुगोल्ला (अडावीगोल्ला) समुदाय को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर निर्वाचन क्षेत्र में बीआरटी टाइगर रिजर्व की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित तथा इसके समय पर जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा के पारादीप में पेट्रोलियम, कैमिकल्स एंड पेट्रोकैमिकल्स इंवेस्टमेंट रीजन स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा ईरान में बंधक बनाए गए महाराष्ट्र के परभनी जिले के युवक की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री के॰ राम॰ मोहन नायडू किंजरापु द्वारा देश के सशस्त्र बलों की रक्षा संबंधी तैयारियों एवं क्षमता को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा त्रिपुरा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रम दिवसों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री वाई॰ वी॰ सुब्बा रेड्डी द्वारा वर्ष 2019 के चुनावों से पूर्व आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में सीटों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित स्पष्टीकरण जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री मोहम्मद फैज़ल द्वारा विभिन्न पत्तन विकास परियोजनाओं हेतु लक्षद्वीप प्रशासन के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री शैलेश कुमार द्वारा बिहार के भागलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 की मरम्मत तथा इसे चार लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 को चार लेन वाला बनाए जाने से संबंधित कार्य को समय पर पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.16 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016 *राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय: 1 घंटा 7 मिनट

श्री राजनाथ सिंह ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
2. श्री संतोख सिंह चौधरी
3. श्री एṃपीṃ जितेन्द्र रेड्डी:
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री भगवंत मान
6. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
7. श्री चरणजीत सिंह
8. श्री रवनीत सिंह
9. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री राजनाथ सिंह ने वाद विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.23 बजे

13. सरकारी विधेयक — पारित

प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2016

लिया गया समय : 2 घंटे 44 मिनट

डॉ॰ हर्षवर्धन ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:

1. डॉ॰ शशि थरुर
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. डॉ॰ तापस मंडल
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री एम॰ श्रीनिवास राव
6. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
7. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
8. श्री हुकुम सिंह
9. डॉ॰ वारा प्रसाद राव वेलगापल्ली
10. श्री अरुण कुमार
11. श्री दुष्यंत चौटाला
12. श्री कौशलेन्द्र कुमार
13. श्री प्रहलाद पटेल
14. श्री रिचर्ड हे

डॉ॰ हर्षवर्धन ने वाद विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 46 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ हर्षवर्धन ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

***14. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 25 अप्रैल, 2016 को हुई अपनी बैठक में दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के तीन सदस्यों डॉ॰ भालचन्द्र मंगेकर और श्री नरेश गुजराल के अवकाश प्राप्त करने तथा श्री आनन्द शर्मा द्वारा राज्य सभा से त्याग पत्र दिए जाने के परिणामस्वरुप उत्पन्न हुई रिक्तियों पर राज्य सभा के तीन सदस्यों को निर्वाचित किए जाने के बारे में लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और क्रमश: श्री आनंन्द शर्मा, श्री भुवनेश्वर कालिता और श्री नरेश गुजराल जिन्हें उक्त समिति के लिए विधिवत् निर्वाचित किया गया था, के नामों के संदेश की सूचना दी।

सांय 6.07 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 26 अप्रैल, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

*अपराह्न 5.30 बजे

GMGIPMRND—280LS—25.04.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार 2 मई, 2016/12 वैशाख, 1938 (शक)

संख्या 149

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 101 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 101 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 102—104 और 106—108 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 105 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने सभा पटल पर उत्तर रखा। प्रश्न सं॰ 105 का कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न सं॰ 109—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2016 जो 1 अप्रैल, 2016 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 387(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अंतर्गत श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी (वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2015 जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 336(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2016-2017 के लिए कोयला मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2016-2017 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्नातक-पूर्व उपाधि (बी॰डेस), स्नातकोत्तर उपाधि (एम॰डेस) और डिप्लोमा (जीडीपीडी और पीजीडीपीडी) अध्यादेश, 2014 जो 9 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेनेट/26-11-14 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 जो 4 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 279(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) वर्ष 2016-17 के लिए खान मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) नागालैण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ एनयू, ईसी सीईएलएल-4/06 जो 3 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो परिनियम संशोधन के बारे में संसद को अवगत कराने के लिए नागालैण्ड विश्वविद्यालय के परिनियम सं॰ 2(4) के संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स एण्ड ट्रेनिंग रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स एण्ड ट्रेनिंग रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरूचिरापल्ली, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरूचिरापल्ली, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सोलहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किए:—

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-2016) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

6. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शरद त्रिपाठी ने वर्ष 2016-2017 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 11वां प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

7. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दुष्यंत चौटाला ने शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2015-2016) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हुकुम सिंह ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'बाढ़ प्रबंधन' प्रतिकर तथा बाढ़ के कारण नष्ट हुई फसलों के लिए किसानों को प्रतिकर सहित देश में जलमग्न और अपक्षरित भूमि के स्वामित्व की स्थिति तथा किसानों के खेतों में बचे रह गए रेत के निपटान के अधिकार से संबंधित मुद्दे' विषय पर चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 9वां प्रतिवेदन।

9. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

प्रह्लाद सिंह पटेल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

(2) भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

10. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कापार्ट)' विषय पर समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 44वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशें पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में समिति के 41वें प्रतिवदेन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 47वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय 5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में समिति के 38वें प्रतिवदेन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 48वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय 5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई।

(4) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 49वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय 5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

(5) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 50वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(6) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सतर्कता तथा निगरानी समितियों का कार्यकरण' विषय पर समिति के 46वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशें पर 51वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन

(15वीं लोक सभा) के अध्याय-5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(7) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 10वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(8) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2014-2015' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 11वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(9) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2014-2015' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 12वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (16वी लोक सभा) के अध्याय-5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(10) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का क्षमता निर्माण' विषय पर समिति के 45वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 15वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(11) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिश पर 17वें की-गई-कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(12) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में समिति के 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 19वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के

अध्याय-5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(13) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 20वें की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-5 में शामिल अंतिम उत्तरों तथा अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

11. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 19वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) जनजातीय कार्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों। (2014-2015) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) खान मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

* अपराह्न 12.18 बजे

13. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सर्वश्री राजीव शंकरराव सातव और के॰सी॰ वेणुगोपाल ने देश में चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल में दिए गए आदेश के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किया।

श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह, श्रीमती ज्योति ध्रुवे, श्री जितेन्द्र चौधरी, डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री (एडवोकेट) जोएस जार्ज, श्री पी॰के॰ बिजू, डॉ॰ संजय जायसवाल, श्री शिवकुमार उदासी, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री हरीश चन्द्र मीणा, श्री रामचरण वोहरा, डॉ॰ मनोज राजोरिया, श्री राहुल कस्वां , श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर और श्री गोपाल शेट्टी सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने उत्तर दिया।

अपराहन 12.54 बजे

(दो) प्रो॰ सौगत राय और डॉ॰ रमेश पोखिरियाल निशंक ने उत्तराखंड और उत्तरी भारत के अन्य भागों ने वनों में लगी आग को फैलने से रोकने में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव शंकरराव सातव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्रप्रकाश जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री पी॰पी॰ चौधरी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ॰ मनोज राजेरिया और श्री अनुराग सिंह ठाकुर सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.09 *में स्थगित हुई और अपराह्न* 2.14 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.14 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जेसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री ओम बिरला द्वारा देश के सुखा प्रभावित क्षेत्रों खासकर राजस्थान में पेयजल उपलब्ध करने के लिये तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 1.09 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा बिजनौर–हस्तिनापुर–मेरठ को जोड़ने वाली रेल लाईन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड के धनबाद में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक मंडलीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा नवी मुंबई में स्थापित किये जाने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध व्यक्ति स्वर्गीय श्री डी॰बी॰ पाटील के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में रोगियों का ईलाज समयबद्ध तरीके से किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा भाखड़ा नांगल बांध पर दीनबन्धु सर छोटू राम की प्रतिमा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के द्वारकाधीश मंदिर, काकरौली और श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा को कृष्णा सर्किट में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा देश में शहरी परिवहन व्यवस्था के प्रभावशाली प्रबंधन के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा देश के ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों में सुधार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रोड़मल नागर द्वारा देश में अधिक मूल्य वाले करेंसी नोटों की छपाई बंद किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अंशुल वर्मा द्वारा हरदोई, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के बंद ऐकक के कर्मचारियों की भविष्य निधि जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महराजगंज में रोहिणी नदी पर बैराज गेट का पुनर्निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री हरीशचन्द्र चव्हाण द्वारा दिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र के अंतर्गत नासिक जिले के जनजातीय लोगों को लाभ प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनमयगोडा द्वारा देश में जल संरक्षण के लिये मनरेगा की धनराशि का उपयोग किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री निनोंग इरिंग द्वारा राज्य औद्योगिक विकास निधि के अंतर्गत निधियों का समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा मणिपुर और देश के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के समक्ष आ रही प्राकृतिक आपदा के संबंध में।

(18) प्रो॰ सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिनों में धारा 144 लगाए जाने के संबंध में।

(19) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का पुनरुद्धार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुल्लम के मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

(21) श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी द्वारा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का निर्वाचन एक साथ कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा आंध्र प्रदेश के अराकू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक उप-केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम में हाल ही में आयी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा आवश्यक खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्यों पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 को हरित राजमार्ग नीति, 2015 की प्रारंभिक सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा पुलिस और सशस्त्र बलों में कार्यरत महिलाओं के समक्ष आ रही समस्याओं के सबंध में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.15 बजे

15. बजट (सामान्य)—2016-2017—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय : 4 घंटे 38 मिनट

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 82 और 83 पर चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री दुष्यंत चौटाला (भाषण पुन: आरंभ किया)

*2. प्रो॰ रिचर्ड हे

*3. श्री भृर्तहरि महताब

4. सुश्री साध्वी सावित्री बाई फुले

*5. श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले

*6. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

*7. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

8. डॉ॰ अरुण कुमार

9. डॉ॰ यशवन्त सिंह

*10. श्रीमती पूनमबेन माडम

*11. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

12. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*13. श्रीमती रीता तराई

14. डॉ॰ उदित राज

15. डॉ॰ तपस मण्डल

16. श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण

17. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

18. श्री असदुद्दीन ओवैसी

*19. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*20. श्री जगदम्बिका पाल

*21. श्री राहुल कस्वां

22. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

23. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड़

*24. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह

*25. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*26. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक

*27. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर

*28. श्री गोपाल शेट्टी

*29. कुमारी शोभा कारान्दलाजे

*30. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

*31. डॉ॰ (श्रीमती) ममताज़ संघमिता

*32. श्री रामेश्वर तेली

*33. श्री निशिकांत दुबे

*34. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

*35. श्री ओम बिरला

*36. श्री बी॰ एन॰ चन्द्रप्पा

*37. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

श्री थावर चन्द गहलोत ने वाद विवाद का उत्तर दिया।

श्री राजीव शंकरराव सातव द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 1 पर सभा में मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री रवनीत सिंह द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 8 पर सभा में मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदानों की मांग सं॰ 82 और 83 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों), जिसके संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 2016-17 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराह्न 4.16 बजे

16. बजट (सामान्य)—2016-2017—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय : 3 घंटे 44 मिनट

नगर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं॰ 9 और पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं॰ 88 पर चर्चा आरंभ हुई।

सभापति ने निम्नलिखित घोषणा की:—

"अब सभा में नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं॰ 9 और पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं॰ 88 पर चर्चा तथा मतदान होगा।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें तो पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम सं॰ दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज सकते हैं। केवल वे कटौती प्रस्ताव, जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होंगी उन्हें ही पेश किया गया माना जाएगा।

जिन कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना गया उनकी क्रम सं॰ दर्शाने वाली सूची उसके तुरन्त बाद सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई विसंगति दिखाई देती है तो वे उसे तत्काल सभा पटल पर उपस्थित अधिकारी के ध्यान में लाएं।"

नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 2 कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 1 से 2) पेश किए गए।

पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 27 कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 1-3, 7-10 और 15-34) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल
2. श्री दुष्यंत चौटाला

3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री अर्का केशरी देव
*5. श्री अजय (टेनी) मिश्र
*6. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
*7. श्रीमती कविता कलवकुंतला
*8. श्रीमती रेणुका बुत्ता
9. श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
*10. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
*11. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
12. श्री श्रीनिवास केसनेनी
*13. श्री मो॰ बदरूद्दोजा खान
*14. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
*15. श्री गोपाल शेट्टी
*16. श्री राजीव शंकरराव सातव
*17. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
18. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
*19. श्री डी॰के॰ सुरेश
20. श्री शंकरप्रसाद दत्ता
*21. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
22. श्री एम॰ राजामोहन रेड्डी
*23. श्री आर॰ ध्रुवनारायण
*24. प्रो॰ रिचर्ड हे
25. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*26. डॉ॰ (श्रीमती) ममताज संघमिता

27. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

28. श्री जगदम्बिका पाल

29. डॉ॰ अरूण कुमार

30. श्री निनोंग इंरिग

*31. श्री पी॰पी॰ चौधरी

32. श्री शरद त्रिपाठी

*33. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

34. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

35. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

*36. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

37. श्री देवेन्द्र सिंह

38. श्री कौशलेन्द्र कुमार

39. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

*40. श्री निशिकांत दुबे

41. श्री प्रेमदास राय

*42. डॉ॰ कुलमणि सामल

43. श्री दद्दन मिश्रा

44. श्री राम टहल चौधरी

45. श्री राज कुमार सैनी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

46. श्री राकेश सिंह

*47. श्री रामेश्वर तेली

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.00

(लोक सभा मंगलवार, 3 मई, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—597LS(S3)—02-05-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 3 मई, 2016/13 वैशाख, 1938 (शक)

संख्या 150

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने दूसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य श्री बल राज मधोक के निधन के बारे में उल्लेख किया। दिवंगत आत्मा के सम्मान में सभा थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रही।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 और 123—125 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 122 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने सभा पटल पर उत्तर रखा। प्रश्न संख्या 122 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न सं॰ 126—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदनों के संबंध में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2016 का संख्यांक 9) (अनुपालन लेखापरीक्षा) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(2) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016, जो 14 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 424(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(5) वर्ष 2016-2017 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(6) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत रासायनिक दुर्घटनाएं (आपात योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) संशोधन नियम, 2015, जो 27 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 902(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2016-2017 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1192(अ) जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (15) की मद सं॰ (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) लैण्ड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लैण्ड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) लैण्ड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लैण्ड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) लैण्ड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लैण्ड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2015, जो 14 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 966(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, फायर विंग (अधीनस्थ रैंक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2015, जो 23 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 189(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2016, जो 9 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 13/12/2012-एलपीएआई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती विनियम 2016 जो 9 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 13/12/2012-एलपीएआई में प्रकाशित हुए थे।

(26) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2016, जो 18 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 324(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत जारी विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2016, जो 18 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 325(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द ओर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द ओर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619अ की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल हैंडिकेप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडिकेप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजीकली हैंडिकेप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजीकली हैंडिकेप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2016, जो 7 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 680(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(35) वर्ष 2016-2017 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगी।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 2 मई, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 16 मार्च, 2016 को लोक सभा द्वारा पारित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत है।

(दो) कि राज्य सभा को 26 अप्रैल, 2016 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2016 के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

6. अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 132वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

महासचिव ने 28 मार्च से 1 अप्रैल, 2015 तक हनोई (वियतनाम) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 132वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने 'जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेन गोहेन ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नियोजन में अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के

लिए उठाए गए उपायों के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2015-2016) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

10. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम (सेनानिवृत्त) ने 'थल सेना (मांग सं॰ 23) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के संबंध में 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

11. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम (सेनानिवृत्त) ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'सामान्य रक्षा बजट, रक्षा मंत्रालय का सिविल व्यय (मांग सं॰ 20) और रक्षा पेंशन (मांग सं॰ 21) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 19वां प्रतिवेदन।

(2) 'थल सेना, नौ सेना और वायु सेना (मांग सं॰ 22) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 20वां प्रतिवेदन।

(3) 'रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण, मांग सं॰ 20) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन।

(4) 'रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मांग सं॰ 23) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन।

12. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 10वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 11वां प्रतिवेदन।

13. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

14. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रह्लाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

15. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

16. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विनोद कुमार सोनकर ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भारत में निर्यात अवसंरचना के बारे में 123वां प्रतिवेदन।

(2) भारत में रबड़ उद्योग के बारे में समिति के 119वें अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 124वां प्रतिवेदन।

(3) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 125वां प्रतिवेदन।

(4) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 126वां प्रतिवेदन।

17. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती किरण खेर ने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 197वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

18. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रवीन्द्र कुमार जेना ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखें:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के उपबंधों की समीक्षा के बारे में 272वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 273वां प्रतिवेदन।

(3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 274वां प्रतिवेदन।

(4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 275वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

19. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

#(1) विदेश मंत्री की ओर से वित्त मंत्री ने रेद एनरिका लेक्सी मैटर में आरबिटरल ट्राइब्यूनल के आदेश के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2015-16) के बारे में समिति के 185वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 192वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(4) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.58 बजे

20. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किए गए च्वायस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सी बी सी एस की आवश्यकता के बारे में।

#अपराह्न 12.09 बजे।

*अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 12.57 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्रीमती विजया चक्रवर्ती द्वारा असम के बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री बहादुर सिंह कोली द्वारा राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सेना भर्ती केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सत्यपाल सिंह द्वारा देश में नदियों तथा अन्य जल स्रोतों में जल के गिरते स्तर को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में एक चाय नीलामी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री भरत सिंह द्वारा कार्पोरेट सेक्टर द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मद के अंतर्गत निधियों का आवंटन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर और कानपुर देहात जिलों में पीने योग्य पानी की भारी कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती कमला देवी पाटले द्वारा छत्तीसगढ़ के जांजगीर–चांपा जिले को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के चन्दौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ढाब क्षेत्र में आने वाले गांवों में लघु उद्योगों के विकास तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोहनी मंडल रेलवे हाल्ट को मोहनी मंडल रेलवे स्टेशन का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित ऐसे रियल्टी शोज़ जिनमें बच्चे भाग लेते हैं तथा ऐसे अन्य कार्यक्रम जिन्हें जनता और बच्चों के देखने योग्य बनाया जा सके, को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खानों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा देश में नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री बी॰ श्रीरामुलु द्वारा कर्नाटक के बेल्लारी में मोरार जी देसाई आवासीय विद्यालय में पानी की समस्या दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री सुधीर गुप्ता द्वारा देश के मन्दसौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांधीसागर अभ्यारण्य में वाणिज्यिक बागवानी, हर्बल हब का विकास करने तथा पर्यटन की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने के उद्देश्यों को प्राप्त किये जाने तथा और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री राजीव सातव द्वारा अहिल्या बाई होल्कर की जन्म वर्षगांठ 31 मई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ तापस मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के राणाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीर नगर रेलवे स्टेशन पर एक समपार अथवा सब-वे बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री सौमित्र खान द्वारा पश्चिम बंगाल में शिलावती और द्वारकेश्वर नदियों पर बांध बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्रीमती सकुंतला लागुरी द्वारा ओडिशा के क्योंझार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 के रिमोली से राजामुंडा खंड के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी एस एन एल की मोबाइल सेवा में सुधार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री एम॰ मुरली मोहन द्वारा आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व॰ श्री नंदामुरी तारका रामाराव को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा कूरदूर-हैदराबाद-निजामाबाद-आदिलाबाद-नागपुर औद्योगिक कोरीडोर को स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा आई डी बी आई को एक सरकारी बैंक के रूप में बनाये रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री शैलेश कुमार द्वारा बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मक्का आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा दलहन की कथित जमाखोरी तथा कृत्रिम कमी जिसके फलस्वरूप इनके मूल्यों में भारी बढ़ोतरी हुई, की जांच किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री राजू शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के सहकारी गन्ना मिलों की नीलामी में कथित अनियमितताओं की जांच किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.58 बजे

21. बजट (सामान्य)—2016-2017-अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 5 घंटे 06 मिनट

नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं॰ 9 और पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं॰ 88 पर आगे चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल
2. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
3. श्री आलोक संजर
4. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गोडा
5. श्री ए॰टी॰ (नाना) पाटील
6. श्री तथागत सत्पथी
7. श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले
8. श्री नरसिम्हम थोटा
9. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
10. श्रीमती वीणा देवी
11. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी
12. डॉ॰ बंशीलाल महतो

13. श्री लखन लाल साहू
14. श्री सुधीर गुप्ता
15. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह
16. श्रीमती अंजू बाला
17. श्रीमती पूनमबेन माडम
18. श्रीमती कृष्णा राज
19. श्री ओम बिरला
20. श्री पी॰के॰ बिजू
21. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक
22. डॉ॰ महेन्द्र नाथ पांडेय
23 श्री शिवकुमार उदासि
24. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसणी
25. श्री अश्विनी कुमार चौबे
26. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
27. श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा

श्री अशोक गजपति राजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

डॉ॰ महेश शर्मा ने भी वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 1 और 2 पर सभा में मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदान की मांग सं॰ 9 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) जिसके संबंध में नागर विमानन मंत्रालय वर्ष 2016-17 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 1 से 3 पर सभा में मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री राजीव शंकरराव सातव द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 7 और 10 पर सभा में मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 15 और 34 पर सभा में मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदान की मांग सं॰ 88 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) जिसके संबंध में पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2016-17 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

(लोक सभा अपराह्न 2.21 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.18 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.18 बजे

22. राज्य सभा के संशोधनों पर सहमति

**विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक,* 2015

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''छियासठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''सड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, अंक ''2015'' **के स्थान पर** अंक ''2016'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची

3. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 5, का **लोप** किया जाए।

4. कि पृष्ठ 17, पंक्ति 12, का **लोप** किया जाए।

---

* लोक सभा द्वारा 11 मई, 2015 को विधेयक पारित किया गया और इस पर सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 27 अप्रैल, 2016 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और इसे 28 अप्रैल, 2016 को लोक सभा को लौटा दिया।

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने प्रस्ताव किया कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति दी गई।

23. राज्य सभा के संशोधनों पर सहमति

@*निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक,* 2015

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने प्रस्ताव किया कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''छियासठवें'' शब्द के **स्थान पर** ''सड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4, कोष्ठक, शब्द और अंक '(तीसरा) अधिनियम, 2015' के **स्थान पर,** 'अधिनियम, 2016' शब्द और अंक **प्रतिस्थापित** किए जाएं।

पहली अनुसूची

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 8 और 9 का **लोप** किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने प्रस्ताव किया कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति दी गई।

@लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 2015 को विधेयक पारित किया गया और इस पर सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 27 अप्रैल, 2016 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और इसे 28 अप्रैल, 2016 को लोक सभा को लौटा दिया।

अपराह्न 3.22 बजे

24. बजट (सामान्य)—2016-2017—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय : 2 घंटे 40 मिनट

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 50 पर चर्चा आगे जारी रही।

सभापति ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''अब सभा में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदान की मांग सं॰ 50 पर चर्चा तथा मतदान होगा।

माननीय सदस्य वर्ष 2016-17 के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदान की मांग पर जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें तो पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम सं॰ दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज सकते हैं। केवल वे कटौती प्रस्ताव, जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होंगी उन्हें ही पेश किए गए माना जाएगा।

जिन कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा उनकी क्रम सं॰ को दर्शाने वाली सूची उसके तुरन्त बाद सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई विसंगति दिखाई देती है तो वे उसे तत्काल सभा पटल पर उपस्थित अधिकारी के ध्यान में लाएं।''

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के 17 कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 1, 6, 7-9, 10 और 11-12) पेश किए गए:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:

1. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
2. श्री सुरेश सी॰ अंगडी
3. डॉ॰ (श्रीमती) ममताज़ संघमिता
4. श्री बैजयंत 'जे' पांडा

*5. श्री अजय (टेनी) मिश्रा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*6. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

7. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे

*8. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*9. श्री राम टहल चौधरी

*10. श्री तथागत सत्पथी

11. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव

*12. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*13. डॉ॰ किरीट सोमैया

*14. श्री गोपाल शेट्टी

15. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

*16. श्री निशिकांत दुबे

*17. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

18. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

*19. डॉ॰ कुलमणि सामल

*20. श्रीमती रेणुका बुत्ता

*21. डॉ॰ यशवन्त सिंह

22. श्री शंकर प्रसाद दत्ता

*23. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत

24. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली

*25. श्री मिदून रेड्डी

26. श्री उदय प्रताप सिंह

27. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*28. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*29. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर

30. श्री दुष्यंत चौटाला

*31. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह

32. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

33. श्री कौशलेन्द्र कुमार

34. श्री कुमारी सुष्मिता देव

*35. श्री शरद त्रिपाठी

36. श्री रमेश विधूड़ी

37. श्री सी॰आर॰ चौधरी

*38. श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले

*39. सुश्री रंजनबेन भट्ट

*40. श्री डी॰के॰ सुरेश

*41. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)

*42. श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा

*43. प्रो॰ रिचर्ड हे

*44. श्री ए॰टी॰ (नाना) पाटील

*45. श्री देवजी एम॰ पटेल

*46. श्रीमती पूनमबेन माडम

*47. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी

*48. श्री रामेश्वर तेली

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*49. श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण

*50. श्री अपरूपा पोद्दार

*51. श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह

*52. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*53. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक

*54. श्री विद्युत वरण महतो

*55. श्री जगदम्बिका पाल

*56. श्री अश्विनी कुमार चौबे

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने वाद विवाद का उत्तर दिया।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 1 पर सभा में मतदान हुआ और अस्वीकृत हुआ।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 6 पर सभा में मतदान हुआ और अस्वीकृत हुआ।

श्री बैजयंत जे॰ पांडा द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 7-9 पर सभा में मतदान हुआ और अस्वीकृत हुए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 10 पर सभा में मतदान हुआ और अस्वीकृत हुआ।

श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 11-21 पर सभा में मतदान हुआ और अस्वीकृत हुए।

अनुदान की मांग सं॰ 50 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) जिसके संबंध में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय वर्ष 2016-17 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 6.03 बजे

25. बजट (सामान्य)—2016-2017—अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष ने घोषणा की कि वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) से संबंधित सभी कटौती प्रस्ताव, जो परिचालित किए गए थे, को पेश किया जा रहा माना जाए।

सभी कटौती प्रस्ताव, जिन्हें पेश किया गया माना गया था, अस्वीकृत हुए।

अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2016-17 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत की गई और पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

1. कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 1-3
2. परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग सं॰ 4
3. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 5
4. रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 6 से 8
5. कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 10
6. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 11 और 12
7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 13 से 15
8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 16 और 17
9. कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 18
10. संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 19
11. रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 20—23
12. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 25
13. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 26
14. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 27
15. विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 28

16. वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 29, 30, 32 और 34 से 40
17. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 41
18. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 42 और 43
19. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 44 और 45
20. गृह मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 46 से 49 और 90 से 94
21. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 51 और 52
22. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 53
23. श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 54
24. विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 55 और 56
25. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 58
26. खान मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 59
27. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 60
28. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 61
29. पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 62
30. संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 63
31. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 64
32. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 66
33. योजना मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 67
34. विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 68
35. लोक सभा से संबंधित मांग सं॰ 70
36. राज्य सभा से संबंधित मांग सं॰ 71
37. उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग सं॰ 73

38. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 74

39. ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 75 और 76

40. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 77 से 79

41. पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 80

42. अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग सं॰ 84

43. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 85

44. इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 86

45. वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 87

46. जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 89

47. शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 95

48. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 96

49. महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 97

50. युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 98

सायं 6.07 बजे

26. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (सं॰ 2) विधेयक, 2016

27. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (सं॰ 2) विधेयक, 2015

श्री अरूण जेटली की ओर से श्री जयंत सिन्हा द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 अस्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री जयंत सिन्हा द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.10 बजे

28. सरकारी विधेयक—पारित
प्रतिकर वनरोपण निधि विधेयक, 2015

लिया गया समय: 2 घंटे 12 मिनट

श्री प्रकाश जावडेकर ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:**—**

1. सुश्री सुष्मिता देव
2. डॉ॰ संजय जायसवाल
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री पिनाकी मिश्र
5. श्री विनायक भाउराव राउत
6. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
7. श्रीमती कविता कलवकुंतला
8. श्री जितेन्द्र चौधरी
9. श्रीमती रेणुका बुत्ता
10. श्री अभिजीत मुखर्जी
11. श्री लक्ष्मीनारयण यादव
12. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
13. श्री असादुद्दीन ओवेसी

14. प्रो॰ रिचर्ड डे

15. श्री सुमेधानन्द सरस्वती

श्री प्रकाश जावडेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। विचारार्थ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 से 14 स्वीकृत हुए।

खण्ड 15, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 19, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 से 25 स्वीकृत हुए।

खण्ड 26, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 और 28 स्वीकृत हुए।

खण्ड 29, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 और 32 स्वीकृत हुए।

खण्ड 33, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रकाश जावडेकर ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

#29. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रात्रि 8.22 बजे

(लोक सभा बुधवार, 4 *मई,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

#सायं 7.29 बजे।

GMGIPMRND—686LS—03.05.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 4 मई, 2016/14 वैशाख, 1938 (शक)

संख्या 151

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 और 142 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 143 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 143 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 144, 145 और 148 के मौखिक उत्तर दिए गए। दोनों सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 146 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने सभा पटल पर उत्तर रखा। प्रश्न सं॰ 146 का कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न सं॰ 147 का मौखिक उत्तर नहीं दिया गया क्योंकि संबंधित मंत्री सभा में उपस्थित नहीं थे। अत: तारांकित प्रश्न सं॰ 147 और 149—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत डाटा सेवाओं के लिए विभेदकारी टैरिफों का प्रतिषेध विनियम, 2016 (2016 का 2)

जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 301-5/2016-एफ एण्ड ईए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) श्री राजीव प्रताप रूडी तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

तेरहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 30	तेरहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

2.	विवरण संख्या 33	चौथा सत्र, 2005
3.	विवरण संख्या 25	आठवां सत्र, 2006
4.	विवरण संख्या 26	चौदहवां सत्र, 2008
5.	विवरण संख्या 23	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

6.	विवरण संख्या 26	दूसरा सत्र, 2009
7.	विवरण संख्या 23	चौथा सत्र, 2010
8.	विवरण संख्या 21	पांचवां सत्र, 2010
9.	विवरण संख्या 20	छठा सत्र, 2010
10.	विवरण संख्या 18	सातवां सत्र, 2011
11.	विवरण संख्या 18	आठवां सत्र, 2011
12.	विवरण संख्या 17	नौवां सत्र, 2011
13.	विवरण संख्या 16	दसवां सत्र, 2012
14.	विवरण संख्या 14	ग्यारहवां सत्र, 2012
15.	विवरण संख्या 13	बारहवां सत्र, 2012

16.	विवरण संख्या 12	तेरहवां सत्र, 2013
17.	विवरण संख्या 10	चौदहवां सत्र, 2013
18.	विवरण संख्या 8	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

19.	विवरण संख्या 7	दूसरा सत्र, 2014
20.	विवरण संख्या 6	तीसरा सत्र, 2014
21.	विवरण संख्या 5	चौथा सत्र, 2015
22.	विवरण संख्या 3	पांचवां सत्र, 2015
23.	विवरण संख्या 2	छठा सत्र, 2015

(3) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) संशोधन नियम, 2016, जो 11 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 414(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) जुलाई, 2014 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए भारत में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के 52वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) दादरा एवं नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दादरा एवं नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर ऑबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर आबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, बंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, बंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) द इंस्टिटयूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) द इंस्टिट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द इंस्टिट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नॉलोजी, मोहाली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, बंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, बंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, गुड़गाँव के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, गुड़गाँव के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलोजी, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलोजी, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) टेक्नोलोजी इनफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलोजी इनफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 22 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड नियम, 2010, जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 213 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (सचिव, सेवा और भर्ती के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014, जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 001/2014/एफ॰सं॰एसआर/एस9/जेड-08/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (समूह 'क' और समूह 'ख' प्रशासनिक और गैर-तकनीकी पदों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 002/2014/एफ॰सं॰एसआर/एस9/जेड-08/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (भर्ती और समूह 'क' राजपत्रित पद (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक और तकनीकी) विनियम, 2014, जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 003/2014/एफ॰सं॰एसआर॰/एस9/जेड-08/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(53) उपर्युक्त (52) की मद संख्या (एक), (तीन) और (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा, 10 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2016 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली समयावधि के लिए राज्य सभा के सात सदस्यों को लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सहयोजित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी:—

1. श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया
2. श्री राम नारायण डूडी
3. श्री नरेश गुजराल
4. श्री प्रफुल्ल पटेल
5. श्री ए॰के॰ सेल्वाराज
6. श्री तपन कुमार सेन
7. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह

(दो) कि राज्य सभा, 10 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2016 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया है और राज्य सभा के निम्नलिखित दस सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया:—

1. श्री रामदास अठावले
2. श्री शमशेर सिंह ढुलो
3. श्री डी॰ राजा
4. श्री अमर शंकर साबले
5. डॉ॰ विजय लक्ष्मी साधौ
6. श्री वीर सिंह
7. श्री तिरूची शिवा
8. श्रीमती वानसुक साइम
9. श्री दिलीप कुमार तिर्की
10. महंत शंभुप्रसाद जी तुंदिया

(तीन) कि राज्य सभा, 10 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2016 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली समयावधि के लिए राज्य सभा के सात सदस्यों को लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित किए जाने हेतु नाम निर्दिष्ट किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी:—

1. श्री नरेश अग्रवाल
2. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
3. श्री विजय गोयल
4. श्री भुवनेश्वर कालिता
5. श्री शान्ताराम नायक
6. श्री सुखेन्दु शेखर राय
7. श्री अजय संचेती

5. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राम चरित्र निषाद ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 233वां प्रतिवेदन।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 234वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

1. सड़क परिवहन और राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री 14 से 16 अप्रैल, 2016 तक मुंबई में सामुद्रिक भारत समिट-2016 के सफल आयोजन के बारे में वक्तव्य देंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित ''डाक विभाग में कारबार विकास तथा विपणन रणनीति'' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

3. श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्व्यिन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.10 बजे

7. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 3 मई, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.54 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) डॉ॰ मनोज राजोरिया ने बम्पर फसल के बावजूद राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्याज उगाने वाले किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में निवेदन किए।

---

*अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 1.09 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी॰पी॰ चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री सी॰ आर॰ चौधरी, श्री रामचरण बोहरा, श्री राहुल कस्वां और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहयोजित हुए।

श्री राम विलास पासवान ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.01 बजे

(एक) प्रो॰ रिचर्ड हे और श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने केरल में कोचीन के समीप पेरम्बदूर में विधि की एक दलित छात्रा के उत्पीड़न और उसकी हत्या के बारे में निवेदन किए।

श्री निशिकांत दुबे, श्री भैरों सिंह मिश्र, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुंवर पुष्प्रेन्द सिंह चंदेल, डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री पी॰पी॰ चौधरी, श्री प्रहलाद वेंकटेंश जोशी, श्री शरद त्रिपाठी, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वैंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.09 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.13 *बजे पुन: समवेत हुई ।)*

अपराह्न 2.13 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदरस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शौचालय सुविधाएं प्रदान करने तथा क्षेत्र के कैंटोनमेंट एरिया में लोगों को शौचालय का निर्माण करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर गढ़चौपाला और गजरौला के बीच फलाईओवर का निर्माण तेजी से कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के बेलापुर से पेंधर के बीच नवी मुंबई रेल परियोजना लाईन संख्या–1 के शीघ्र नोटीफिकेशन ऑफ इलाइनमेंट जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रामचरण बोहरा दिल्ली से जयपुर के बीच प्रस्तावित नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तेजी से किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा ट्रेनों के रद्द होने की स्थिति में रेल यात्रियों को पूर्व सूचना प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड में चापाकल लगाने, पुराने खराब पड़े चापाकलों को ठीक करने तथा अन्य पेयजल योजनाओं के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में पेयजल की भारी कमी की समस्या को दूर किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में विकास के लिये विशेष पैकेज प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर जिले के सांचोर में रेल सेवाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा देश में साईबर कानूनों को कड़ा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती रीती पाठक द्वारा रक्त दान मानदंडों में ढील दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री कीर्ति आजाद द्वारा उत्तर बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री डी॰ के॰ सुरेश द्वारा कर्नाटक में किसानों द्वारा जंगली सुअरों की समस्या को दूर किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री बी॰ एन॰ चन्द्रप्पा द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग किले का उचित संरक्षण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा में एक म्यूनिसीपल कैडर स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या–202 के संबंध में एक वरिष्ठ सोलिसीटर की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा पंजाब में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये विशेष प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.14 बजे

10. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

वित्त विधेयक, 2016

आवंटित समय : 8 घंटे
लिया गया समय : 5 घंटा 40 मिनट
शेष : 2 घंटे 20 मिनट

श्री अरूण जेटली की ओर से श्री जयन्त सिन्हा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली
2. श्री निशिकांत दुबे
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री अरविन्द गणपत सावंत
6. श्री जैदेव गल्ला
7. श्री ए॰ पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
8. श्री जितेन्द्र चौधरी
9. श्री मिदुन रेड्डी
10. डॉ॰ थोकचोम मेन्या
11. डॉ॰ किरीट सोमैया
12. श्री शैलेश (बुलो मंडल) कुमार
13. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
14. श्री सिराजुद्दीन अजमल

15. श्री राज कुमार सिंह
16. डॉ० अरूण कुमार
17. श्री असादुद्दीन ओवैसी
18. श्री संतोष कुमार
19. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
20. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
21. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
22. श्री अभिजित मुखर्जी
23. श्री दुष्यंत चौटाला
24. श्री प्रेम दास राय
25. कुंवर हरिवंश सिंह
26. डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.01 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 5 मई, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव।

GMGIPMRND—716LS(S3)—04.05.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 5 मई, 2016/15 वैशाख, 1938 (शक)

संख्या 152

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवी लोक सभा के सदस्य श्री राणा बहादुर सिंह; ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य डॉ॰ अमृत लाल भारती; और दसवीं लोक सभा की सदस्या श्रीमती चंद्रप्रभा अर्स के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत के सम्मान में सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहें।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—165 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं॰ 166-180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (निधि का गठन और प्रयोग की रीति, बजट की तैयारी के लिए प्ररूप और समय) नियम, 2016 जो 17 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 315(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2016 जो 17 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 316(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रण और सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 28 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/2(2)/2011-एस्ट/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने तथा उसे जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 जो 30 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/12/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2016 जो 31 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/94/सीईआरसी/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(7) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण निधि (बजट की तैयारी के लिए प्ररूप और समय) नियम, 2015 जो 17 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 980(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 45 की उपधारा (2) के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय पहला परिनियम नियम, 2016 जो 7 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 683(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 356(अ) और का॰आ॰ 357(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 28ग (बहराइच–रूपाइडीहा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 413(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (नया एनएच सं॰ 30 (छमतारी–जगदलपुर खंड)के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 626(अ) जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर–जोधपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 796(अ) और का॰आ॰ 797(अ) जो 19 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1225(अ) और का॰आ॰ 1226(अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 (नया एनएच 153) (रायगढ़ सारणगढ़, सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1404(अ) से का॰आ॰ 1408(अ) जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75ङ(सिधी–सिंगरौली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 1520(अ) 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (नया एनएच 43) (पथलगांव से सीजी/जेएच सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1521(अ) से का॰आ॰ 1523(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (बिलासपुर–उरदावल खण्ड)के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का०आ० 1554(अ) और का०आ० 1555(अ) जो 11 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (मंगलवरीपेट से मल्लमपल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का०आ० 1625(अ) और का०आ० 1626(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच 30) (एमपी बोर्डर चिपली से सिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 1624(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (गोरखपुर बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का०आ० 1621(अ) से का०आ० 1623(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (कल्याण-आंध्र प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का०आ० 1647(अ) जो 22 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (धमतारी-जगदलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 1696(अ) और का०आ० 1697(अ) जो 25 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 64 (पटियाला-भटिंडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का०आ० 1681(अ) और का०आ० 1682(अ) जो 24 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एन०एच० संख्या 216) (परिवर्तित काकीनाड़ा बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1752(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 780(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का॰आ॰ 1753(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एन॰एच॰ 216) (पश्चिम गोदावरी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 1825(अ) जो 06 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एन॰एच॰ 216) (पश्चिम गोदावरी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1926(अ) जो 16 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (चित्रदुर्ग-शिमोगा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2011(अ) जो 22 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2069(अ) जो 29 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (नकरेकल-थनमचेरला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2033(अ) जो 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (नकरेकल से नागार्जुन सागर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 2108(अ) जो 03 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 221 (विजयवाड़ा–भद्राचलम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2103(अ) से का॰आ॰ 2106(अ) जो 03 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच सं॰ 30) (एमपी सीमा चिल्पी से शिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 2109(अ) और का॰आ॰ 2110(अ) जो 03 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29ङ(नया एनएच 24) (गोरखपुर से सोनौली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 2146(अ) जो 07 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर–नागौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 2143(अ) जो 07 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (मंगलवरीपेट से मल्लमपल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 2190(अ) और का॰आ॰ 2191(अ) जो 11 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एनएच 216) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 2234(अ) जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बघाना–गोमती खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 2268(अ) जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (पेंचलाकोना से इरपेडू खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 2267(अ) जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर-भोपाल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 2332(अ) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (धमतारी-जगदलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 2464(अ) जो 10 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 2482(अ) जो 14 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एनएच 216) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 2481(अ) जो 14 सिंतबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28(ग) (नया एनएच 927) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 2477(अ) जो 14 सिंतबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2307(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का॰आ॰ 2517(अ) जो 17 सिंतबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65

(नागौर–जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 2514(अ) जो 17 सिंतबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बयावर से बघाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 2592(अ) जो 22 सिंतबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 149 (पल्लाहरासे पित्री खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 2480(अ) जो 14 सिंतबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (अटमकुर से नेल्लोर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 2142(अ) जो 07 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1627(अ) जो 07 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया एनएच 130) (बिलासपुर–अंबिकापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप–धारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (सागरगामियों के बायोमेट्रिक अभिज्ञान दस्तावेज) नियम, 2016 जो 11 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰(415) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कृषि संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई आगे कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'अर्बन हाटों की समीक्षा' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(दो) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला मूल्य निर्धारण और कोयला रायल्टी से संबंधित मुद्दे के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.02 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ स्वामी साक्षीजी महाराज द्वारा उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनरुद्धार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) प्रो॰ रिचर्ड हे द्वारा देश में विशेषकर केरल में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित आमी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रमेन डेका द्वारा असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को अद्यतन बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन कमेटी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बिहार में सोन नहर को रिहन्द डैम से जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान के झालावाड़-बारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में परवान नदी पर एक नए पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान में टौंक-समाइ माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आमली एवं रवाजंना डूंगर रेलवे स्टेशनों के बीच समपार संख्या 298 पर

एक ओवर ब्रिज अथवा अंडरपास का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री थुप्सतान छेवांग द्वारा जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित जनसंख्या संबंधी मानदंडों में छूट दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ सत्यपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की बकाया धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ किरटि पी॰ सोलंकी द्वारा गुजरात में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ कॉटन स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री दद्दन मिश्रा द्वारा देश के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में भूकंप रोधी भवनों का निर्माण सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में तीन केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेलवई जलाशय योजना का कार्य आरंभ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराज नगर जिले के सभी किसानों को डेयरी एंटरप्रोन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम का लाभ प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान द्वारा ओडिशा के देवगढ़ स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्रों की समस्याओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री धनंजय महाडीक द्वारा ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशनभोगियों के कल्याण हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.03 बजे

8. सरकारी विधेयक—पारित

वित्त विधेयक, 2016

लिया गया समय : 7 घंटे 03 मिनट

श्री जयन्त सिन्हा द्वारा 4 मई, 2016 को विधेयक पर विचार के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री अरूण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 6 स्वीकृत हुए।

खण्ड 7 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 15 स्वीकृत हुए।

खण्ड 16 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 और 18 स्वीकृत हुए।

खण्ड 19 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 से 29 स्वीकृत हुए।

श्री अरूण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 29क के अंत:स्थापन हेतु संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 29क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 से 40 स्वीकृत हुए।

खण्ड 41, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 42 स्वीकृत हुआ।

खंड 43, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 44 और 45 स्वीकृत हुए।

खंड 46, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 47 स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 47क के अंत:स्थापन हेतु संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 47क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 48 स्वीकृत हुआ।

खंड 49, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 50, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 51 स्वीकृत हुआ।

खंड 52, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 53, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 54 से 59 स्वीकृत हुए।

खंड 60, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 61 से 65 स्वीकृत हुए।

खंड 66, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 67 से 80 स्वीकृत हुए।

खंड 81, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 82 से 85 स्वीकृत हुए।

खंड 86, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 87 से 95 स्वीकृत हुए।

खंड 96, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 97, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 98 से 106 स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 45 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 106क के अंत:स्थापन हेतु संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 106क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 107 से 111 स्वीकृत हुए।

खंड 112, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 113 से 145 स्वीकृत हुए।

खंड 146 से 191 स्वीकृत हुए।

खंड 192, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 193 से 217 स्वीकृत हुए।

खंड 218, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 219, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 220 से 238 स्वीकृत हुए।

पहली से पन्द्रहवीं तक अनुसूचियां भी स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 219 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों को उद्‌धरित करते हुए प्रक्रिया नियमों के नियम 376 के अंतर्गत दिनांक 4.5.2016 को वित्त विधेयक, 2016 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया, तत्पश्चात् अध्यक्ष ने निम्नलिखित विनिर्णय दिया:—

''माननीय सदस्यगण, मैं इस बात से सहमत हूं कि नियम 219 के अनुसार वित्त विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करना है। वहीं इस नियम में गैर-कराधान के प्रस्तावों को शामिल किए जाने की संभावना भी विद्यमान है। अत: वित्त विधेयक में गैर-कराधान प्रस्ताव भी अंतर्विष्ट हो सकते हैं। पूर्व में भी वित्त विधेयकों में गैर-कराधान वाले प्रस्ताव अंतर्विष्ट किए गए थे, यद्यपि ऐसे मामले कम हैं।

तथापि, वास्तविकता यह है कि इस सभा की सुस्थापित पद्धति रही है कि गैर-कराधान वाले प्रस्तावों को न केवल वित्त विधेयक में अपितु गैर-कराधान प्रस्ताव वाले अन्य विधेयकों में भी शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि ऐसे प्रस्तावों को संवैधानिक अथवा विधिक आधार पर शामिल किया जाना आवश्यक न हो। अतएव, कराधान उपायों को अन्य मामलों से अलग किए जाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए जब तक कि किसी मामला विशेष में कतिपय अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना अपेक्षित न हो।

अत: इस तथ्यों के दृष्टिगत कि नियम 219 के अनुसार वित्त विधेयक में गैर-कराधान प्रस्तावों को शामिल किया जाना विशिष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है, मैं व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत करती हूं।''

श्री अरूण जेटली ने विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.26 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.36 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.36 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, *संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित*

लिया गया समय : 2 घंटे 44 मिनट

श्री जयन्त सिन्हा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. सुश्री सुष्मिता देव
2. श्री पी॰ पी॰ चौधरी
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री आनंदराव अडसुल
6. श्री जैदेव गल्ला
7. श्रीमती कविता कलवकुंतला
8. मौ॰ बदरूद्दोजा खान
9. श्रीमती रेणुका बुत्ता
10. श्री उदित राज
11. श्री गौरव गोगोई
12. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
13. श्री अजय मिश्रा 'टेनी'
14. श्री राजेश रंजन
15. श्री राम प्रसाद शर्मा

श्री जयंत सिन्हा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्ड वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 256 स्वीकृत हुए।

पहली से ग्यारहवीं तक अनुसूचियां भी स्वीकृत हुईं।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जयन्त सिन्हा द्वारा पेश किया गया संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.20 बजे

अनुमत्य समय : 2 घंटे
समय लिया : 1 घंटा
शेष समय : 1 घंटा

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री जगदम्बिका पाल ने बहुत से राज्यों में सूखे और पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संकट पर काबू पाने के लिए संधारणीय समाधान हेतु नदियों के अंतर्योजन और जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में चर्चा उठाई।

श्री अशोक चव्हाण ने चर्चा में भाग लिया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*रात्रि 8.04 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 6 *मई,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

*सायं 6.20 बजे से रात्रि 8.04 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—775LS(S3)—05.05.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 6 मई, 2016/16 वैशाख, 1938 (शक)

संख्या 153

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने दिनांक 5 मई, 2016 को मध्य प्रदेश के सिंहस्थ कुंभ, उज्जैन में आंधी-बारिश से 10 व्यक्तियों के कथित निधन और अन्य 150 व्यक्तियों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत के सम्मान में सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहें।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 और 183—188 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 182 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 182 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 189—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) समिति दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2016 जो 13 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 418(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(2) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) संशोधन विनियम, 2014 जो 16 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰पी॰ 15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 4 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ पी॰ 15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुआ है।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषणकारी तत्व, जीवन विष और अवशिष्ट) विनियम, 2015 जो 4 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰पी॰ 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 12 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या एफ सं॰ पी॰ 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुआ है।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) संशोधन विनियम, 2016 जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 11/12/रेग/प्रोप/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषणकारी तत्व, जीवन विष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2016 जो 6 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰पी॰ 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 4 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या एफ सं॰ पी॰ 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुआ है।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) संशोधन विनियम, 2015 जो 4 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ पी॰एफ॰ सं॰पी॰ 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) संशोधन विनियम, 2015 जो 4 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰पी॰ 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 4 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या एफ सं॰ पी॰ 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुआ है।

(सात) खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषणकारी तत्व, जीवन विष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2016 जो 6 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 1-10(6)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी (मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद)/एफएसएसएआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(9) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा समिति) नियम, 1961 जो 14 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 120(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल कल्चर फण्ड के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कल्चर फण्ड के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन—

(एक) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर

(दो) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2015, जो 8 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3312(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2015, जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3357(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2015, जो 16 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 978(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2015, जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3345(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 127(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2016 जो 16 मार्च, 2016 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 314(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 जो 17 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग॰/4/116/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2016 जो 17 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग॰/5/117/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(21) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 423(अ) जो 13 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'साधारण बुटानोल या एन-बुटाइल अल्कोहल' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 434(अ) जो 21 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 419(अ) जो 13 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012–सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (मूल्य का अवधारण) संशोधन नियम, 2016 जो 13 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 420(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) कराधान बिंदु (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 13 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 421(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (वार्षिक सूचना विवरणी का प्रस्तुत किया जाना) नियम, 2016 जो 15 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 167(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 8 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 283(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 09 दिसंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 948(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2015 जो 18 दिसंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 987(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 173(अ) जो 17 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 06 नवंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 22/2012–से॰क॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(23) वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 130 की उपधारा (2) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियम, 2016 जो 18 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 322 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 617(अ) जो 29 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना सं॰ 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰)जो 03 मार्च 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 1104(अ) जो 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 41/2016-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 17 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 1269(अ) जो 31 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) अधिसूचना संख्या 47/2016-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 04 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना संख्या 48/2016-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 07 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 1425(अ) जो 13 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना संख्या 55/2016-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 21 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(25) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2016 जो 06 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 407(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2016 जो 28 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1215(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2016 जो 28 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1216(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(27) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत पूर्वांचल बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) विनियम, 2010 जो 29 मई 2015 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2015-16/पर्स॰/545-प्रारंभिक में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेनवैट क्रेडिट (पांचवा संशोधन) नियम, 2016 जो 13 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 422(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवैट क्रेडिट (पहला संशोधन) नियम, 2016 जो 01 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 132(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(29) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि स्कीम (संशोधन), 2016 जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 332(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 350(अ) जो 29 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें अधिसूचित किया गया है कि 01 अप्रैल, 2016 को अथवा उसके पश्चात् निधि में किए गए अभिदायों तथा अभिदाता के खाते शेष जमा पर प्रतिवर्ष 8.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2016 जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 330(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां निर्गम) नियम, 2016 जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 331(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) किसान विकास पत्र (संशोधन नियम), 2016 जो 29 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 353(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन नियम), 2016 जो 29 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 354(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(31) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) डाक घर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2016 जो 29 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 356(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 जो 18 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 323(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाक घर (मासिक आय खाता) स्कीम संशोधन नियम, 2016 जो 29 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 349(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2016 जो 29 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 351(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) डाक घर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2016 जो 29 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 355(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सुकन्या समृद्धि लेखा (संशोधन) नियम, 2016 जो 29 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 352(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(32) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2016 जो 30 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 369(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी शाखा कार्यालय या संपर्क कार्यालय या परियोजना कार्यालय या किसी अन्य कारबार स्थल की स्थापना) विनियम, 2016 जो 31 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 384(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का प्रेषण) विनियम, 2016 जो 01 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 388(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियम, 2016 जो 01 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 389(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(33) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 274(अ) जो 03 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 02 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 92(अ) में दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 41(अ) जो 12 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 15 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 166(अ) में दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

#(34) वी वी आई पी हेलीकाप्टर की खरीद के संबंध में एन एस ए द्वारा ली गई बैठक का रिकार्ड, 1 मार्च, 2005, साउथ ब्लाक।

#(35) भारतीय वायुसेना के लिए वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की खरीद के संबंध में दिनांक 9 मई, 2005 को कमरा सं॰ 102, साउथ ब्लाक में हुई चर्चा का रिकार्ड ।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 4 मई, 2016 को हुई अपनी बैठक में यानहरण निवारण विधेयक को पारित कर दिया।

#अपरह्न 2.15 बजे के ध्यानाकर्षण के उत्तर के दौरान।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक, सभा पटल पर रखा गया

यान-हरण निवारण विधेयक, 2016

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने 'जल विद्युत, एक संधारणीय, स्वच्छ और हरित विकल्प' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रह्लाद वैंकटेश जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 'हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) का कार्यकरण' विषय के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राहुल कस्वां ने पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 235वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

10. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री राजीव प्रताप रूडी ने 09 मई, 2016 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.14 बजे

11. ध्यानाकर्षण

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा, 2013 में कथित अनियमितताओं के बारे में कोर्ट ऑफ अपील्स, मिलान, इटली द्वारा हाल ही में किए गए खुलासे के बारे में रक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

रक्षा मंत्री ने इसके बारे में वक्तव्य दिया।

रक्षा मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

(*लोक सभा अपराह्न* 2.55 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 4.00 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

(अपराह्न 4.10 बजे महासचिव ने घोषणा की कि चूंकि सभा में गणपूर्ति% नहीं है, माननीय अध्यक्ष ने निदेश दिया है कि लोक सभा अपराह्न 4.20 बजे समवेत होगी।)

अपराह्न 4.21 बजे

12. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प — विचाराधीन

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''यह सभा सरकार से निम्नलिखित के संबंध में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करती है—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों को संराधिकरण और पूंजी लौटाने के लाभ पुन:स्थापित करना;

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थियों की सेवानिवृत्ति के ठीक पहले बारह माह के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना;

(तीन) कर्मचारी पेंशन स्कीम—1995 के अनुसार पेंशनभोगियों से संराशीकृत पेंशन की पूरी राशि के कार्यान्वयन के बाद पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना;

(चार) कर्मचारी पेंशन स्कीम —1995 के अधीन तीन हजार रुपए प्रति माह तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाना;

(पांच) लगभग सत्ताईस हजार करोड़ रुपए की अदावाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना;

(छह) विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन करना; और

(सात) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार।''

उन्होंने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

%अपराह्न 4.00 बजे से अपराह्न 4.10 बजे तक गणपूर्ति की घंटी तीन बार बजाई गई।

2. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

3. श्री ओम बिरला

4. श्री प्रहलाद सिंह पटेल

5. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

6. श्री सी॰आर॰ चौधरी

7. श्री पी॰पी॰ चौधरी (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*रात्रि 6.48 बजे

(*लोक सभा सोमवार* 9 *मई,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

दिनांक 3.5.2016 के

समाचार—भाग 1 संख्या 150

का शुद्धिपत्र

पृष्ठ 21, ''*56 श्री अश्विनी कुमार चौबे'' *के पश्चात्*

''*57 श्री पी॰पी॰ चौधरी'' *जोड़ा जाए।*

---

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.48 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—829LS—06.05.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 9 मई, 2016/19 वैशाख, 1938 (शक)

संख्या 154

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201, 202, 205 और 207 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 203 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 203 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 204 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 204 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 206 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 206 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न सं॰ 208—220 (214क सहित) के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत मध्याह्न भोज नियम, 2015 जो 30 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 743(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 2015 जो 20 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 93(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2016 जो 25 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 440(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण तंत्रों के लिए संरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2016 जो 11 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एम(1)टी4एस/सीजीडी/1/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण करने, संचालित करने या उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत किया जाना) विनियम, 2010 जो 30 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ वीकेएस/डीबी/03/पीपीएल में प्रकाशित हुए थे।

(7) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का वर्ष 2016-2017 का परिणामी बजट।

(8) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (यूईई मिशन) दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (यूईई मिशन) दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2016 जो 19 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 430(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरूक्षेत्र, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरूक्षेत्र, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) बोर्ड ऑफ एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉदर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉदर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, राँची के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, राँची के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 3251(अ) जो 2 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा डॉ॰ बलतेज सिंह मान और डॉ॰ (श्रीमती) नहीद आबिदी को उनके द्वारा क्रमश: कार्यग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रावंग्ला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रावंग्ला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. याचिका समिति का प्रतिवेदन

श्री दिनेश त्रिवेदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 9 कमीशन वेंडरों के स्टाल/ट्रालियों के मनमानी तरीके से बंद किए जाने के बारे में आल इंडियन रेलवे वेंडर्स एसोशिएशन के महासचिव श्री रिंकू अग्रवाल से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के पहले

प्रतिवेदन पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 278वां प्रतिवेदन।

(2) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 277वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 280वां प्रतिवेदन।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 281वां प्रतिवेदन।

(5) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 282वां प्रतिवेदन।

(6) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 283वां प्रतिवेदन।

(7) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 284वां प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16)के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 264वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.05 बजे

7. इंडियन स्कूल आफ माइंस, धनबाद की महापरिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इंडियन स्कूल आफ साइंस, धनबाद के नियम और विनियम के नियम 15(3) के साथ पठित नियम 4(ii) से (iv) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा की अध्यक्ष

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 1.01 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अध्यधीन इंडियन स्कूल आफ माइंस, धनबाद की महापरिषद् के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.01 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.08 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.08 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखें:—

(1) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा केंद्रीय विद्यालय के लिये एक स्थायी विद्यालय भवन के निर्माण हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल और एक मिलिट्री स्कूल स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजास्टर मेडिकल रिसपोंस फोर्स की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा राजस्थान के खेतड़ी में स्थित हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड के पुनरूद्धार हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केंद्रीय धनराशि समय से अवमुक्त किये जाने के बारे में।

(6) श्री भैरों प्रसाद मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि के कथित दुर्विनियोजन के बारे में जांच किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) कर्नल सोना राम चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री श्यामा चरण गुप्ता द्वारा रेलवे अभियंताओं को ग्रुप-बी का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा छोटी राशि के करेंसी नोट छापने के साथ-साथ समुचित मात्रा में सिक्कों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री बहादुर सिंह कोली द्वारा राजस्थान के भरतपुर में पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री हरिशचन्द्र चव्हाण द्वारा पर-तापी-नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट से उत्तरी महाराष्ट्र को समुचित जलापूति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा डायमंड क्वाड्रीलेटरल रेलवे प्रोजेक्ट के उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर के भाग के रूप में ललितपुर से रामटेक तक एक रेल लाइन का निर्माण शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राजीव एस॰ सातव द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री रवनीत सिंह द्वारा पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ हेतु कनाडा के बैंकूवर और टोरोंटो से एयरइंडिया की उड़ान शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) प्रो॰ सौगत राय द्वारा दलित और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती अत्याचार की घटनाओं के बारे में।

(16) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आराम बाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चंद्रकोना में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री बलभद्र माझी द्वारा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ रवीन्द्र बाबू द्वारा आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में भूमि के कटाव की समस्या के समाधान के लिये उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डॉ॰ बूरा नरसेय्या गौड द्वारा लू की परिस्थिति को प्राकृतिक आपदा के रूप में स्वीकार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा पुणे स्थित हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में।

(21) श्री धनंजय महाडीक द्वारा डाकघरों की गतिविधियों को पुनर्विन्यासित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री राम कुमार शर्मा द्वारा देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ शौचालयों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम के करीमंज जिले में एक नया ओएनजीसी बेसिन स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.10 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

यान-हरण निवारण विधेयक, 2016, *राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय : 1 घंटा 42 मिनट

श्री अशोक गजपति राजू ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री राजेश पाण्डेय
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री एम॰ मुरली मोहन
6. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड
7. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
8. श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी
9. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी
10. डॉ॰ अरूण कुमार
11. श्री दुष्यंत चौटाला

12. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

13. श्री कौशलेन्द्र कुमार

14. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

15. श्री जॉर्ज बेकर

श्री अशोक गजपति राजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 21 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अशोक गजपति राजू ने विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.53 बजे

10. उत्तराखंड बजट — 2016-2017

श्री अरूण जेटली ने उत्तराखंड राज्य की वर्ष 2016-2017 की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

11. नियम 205 के निलंबन का प्रस्ताव—स्वीकृत

श्री अरूण जेटली ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि लोक सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 205 को, जहां तक यह अपेक्षित हो कि बजट पर उस दिन जिस दिन उसे सभा में प्रस्तुत किया जाता है कोई चर्चा नहीं होगी, उत्तराखण्ड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट पर चर्चा के अनुप्रयोग में निलंबित किया जाए, ताकि बजट को उसी दिन प्रस्तुत किया जा सके और उस पर चर्चा की जा सके।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.01 बजे

12. उत्तराखण्ड बजट—2016-17

लिया गया समय: 2 घंटे 44 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा आरंभ हुई:—

(एक) उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट पर सामान्य चर्चा;

(दो) उत्तराखण्ड राज्य के वर्ष 2016-17 के संबंध में लेखानुदानों की मांग सं॰ 1 और 3 से 13

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गौरव गोगोई
2. श्री रमेश पोखरियाल निशंक
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री जितेन्द्र चौधरी
6. श्री एम॰ राजमोहन रेड्डी
7. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
8. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
9. श्री अजय टम्टा
10. डॉ॰ अरूण कुमार
11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
12. श्री दुष्यंत चौटाला
13. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह
14. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
15. कुमारी सुष्मिता देव

श्री अरूण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2016-17 के लिए उत्तराखण्ड बजट के संबंध में सभी अनुदानों की मांगे 1 और 3 से 31 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) जैसा कि वर्ष 2016-17 के लिए लेखानुदानों की मांगों (उत्तराखण्ड) के लिए मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई हैं, पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

सायं 6.46 बजे

13. सरकारी विधेयक—पुरस्थापित

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016

सांय 6.47 बजे

लिया गया समय: 23 मिनट

***14. सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत**

श्री कैलाश एन॰ सिंह देव ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा 31 मार्च, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 2) का निरनुमोदन करती है''।

श्री अरूण जेटली ने उत्तर दिया। संकल्प अस्वीकृत हुआ।

***15. सरकारी विधेयक—पारित**

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरूण जेटली ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

---

*एक साथ चर्चा की गई।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सांय 7.13 बजे

16. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सांय 7.13 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 10 *मई,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—875LS(S3)—09.05.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 10 मई, 2016/20 वैशाख, 1938 (शक)

संख्या 155

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—224 के मौखिक उत्तर दिए गए।

वे सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 225 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 225 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

वे सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 226 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 226 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न सं॰ 227—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय शैक्षणिक विनियम,

2015 जो 19 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 136 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत पोलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स का विनियमन आदेश, 2016 जो 06 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1327(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3553(अ) जो 31 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 3552(अ) जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1741(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1212(अ) जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 1213(अ) जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा-पार संचलन) नियम, 2016 जो 4 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 395(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 338(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 149 (अ) जो 16 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट ऑफ चीफ जज, सिटी सेसन्स कोर्ट, कलकत्ता में एक न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 398(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपराधों की अनुसूची के विचारण के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के प्रयोजनार्थ श्री विजय वेंकटराव पाटील, सिटी एंड एडीशनल सेसन्स जज ग्रेटर बॉम्बे द्वारा पीठासीन कोर्ट ऑफ द सिटी सिविल एंड एडीशनल सेसन्स जज ग्रेटर बॉम्बे को पूरे महाराष्ट्र राज्य पर अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 399(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के प्रयोजनार्थ जम्मू में विशेष न्यायालय अर्थात् टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) एक्ट/प्रीवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट टीएडीए/पीओटीए के अंतर्गत डेजिग्नेटेड कोर्ट्स में एक न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 400(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेसन्स जज, मणिपुर ईस्ट इम्फाल में एक न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1097(अ) जो 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट ऑफ द चीफ जज, सिटी सेसन्स कोर्ट, कोलकाता में नियुक्त न्यायाधीश के नाम का परिशोधन किया गया है।

(10) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1222(अ) जो 29 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 को 'विशेष आदेश' के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2014-15 के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेस्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) रिचर्डसन एंड क्रद्दास (1972) लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एंड क्रद्दास (1972) लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नेशनल फाउंडेशन फार कम्यूनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फार कम्यूनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उपखंड (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1816(अ) जो 06 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारिता-क्षेत्र में फुलबरी में अवस्थित आप्रवास नाका में पुलिस आयुक्त, सिलिगुड़ी को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में 06.06.2015 से नियुक्त किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1505(अ) जो 08 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेशियों विषयक आदेश 1948 के प्रयोजनार्थ लक्षद्वीप संघ-राज्य क्षेत्र के अधिकारिता-क्षेत्र में अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप में अवस्थित आप्रवास नाका में पुलिस अधीक्षक, लक्षद्वीप संघ-राज्य क्षेत्र को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में 30.06.2015 से नियुक्त किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 2016(अ) जो 23 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ भुवनेश्वर जिला के अधिकारिता-क्षेत्र में बीजू पटनायक विमानपत्तन, भुवनेश्वर में अवस्थित आप्रवास नाका में विदेशियों विषयक पंजीकरण अधिकारी, भुवनेश्वर जिले को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में 10.07.2015 से नियुक्त किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 1818(अ) जो 06 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ मदुरै जिला अधीक्षक के अधिकारिता-क्षेत्र में मदुरै विमानपत्तन में अवस्थित आप्रवास नाका में विदेश्यिों विषयक पंजीकरण अधिकारी, मदुरै को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में 01.09.2012 से नियुक्त किया गया है।

(22) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 की उपधारा (ख) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1815(अ) जो 06 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा

दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/निकास के लिए पश्चिम बंगाल के फुलबरी को एक प्राधिकृत आप्रवास नाका के रूप में पदाभिहित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1504(अ) जो 08 जून, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/निकास के लिए लक्षद्वीप संघ-राज्यक्षेत्र के अगत्ती और मिनीकॉय द्वीप को एक प्राधिकृत आप्रवास नाका के रूप में पदाभिहित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 2017(अ) जो 23 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/निकास के लिए ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर के बीजू पटनायक विमानपत्तन को एक प्राधिकृत आप्रवास नाका के रूप में पदाभिहित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 1817(अ) जो 06 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/निकास के लिए तमिलनाडु राज्य के मदुरै विमानपत्तन को एक प्राधिकृत आप्रवास नाका के रूप में पदाभिहित किया गया है।

(23) असम राइफल अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) असम राइफल सूबेदार मेजर (भवन और सड़क) (इंजीनियर) समूह 'ख' (योधक) भर्ती नियम, 2015 जो 5 दिसम्बर, 2015 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 225 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) असम राइफल नायब सूबेदार (इलेक्ट्रिशियन मोटर व्हीकल) समूह 'ख' योधक भर्ती पद नियम, 2015 जो 28 नवम्बर, 2015 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 223 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) असम राइफल नायब सूबेदार (शिक्षक) समूह 'ख' योधक पद भर्ती नियम, 2015 जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 26 में प्रकाशित हुए थे।

(24) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलटीज, चेन्नई के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलटीज, चेन्नई के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अधीन पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2016 जो 19 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 427(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियां और व्यय में रूझान की त्रैमासिक समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 27 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स के अलावा विदेशी पुनर्बीमाकर्त्ताओं के पंजीकरण और शाखा कार्यालय का कामकाज) विनियम, 2015 जो 23 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ आईआरडीएआई/रेग/17/107/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स के अलावा विदेशी पुनर्बीमाकर्त्ताओं के पंजीकरण और शाखा कार्यालय का कामकाज)

(पहला संशोधन) विनियम, 2016 जो 4 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ आईआरडीएआई/रेग/1/113/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(29) नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 की धारा 40 की उप-धारा 5 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 31वां प्रतिवेदन।

(2) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

(4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 34वां प्रतिवेदन (माने गए)।

(5) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 35वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा संरक्षण' विषय पर सातवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री चिराग पासवान ने 'पर्यावरण और स्वास्थ्य और तम्बाकू संसाधन के प्रभाव' पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 285वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. याचिका प्रस्तुत किया जाना

श्री निशिकांत दुबे ने देवगढ़, झारखंड में आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़ (एम्स) खोले जाने के बारे में सर्वश्री लखन तूरी तथा महेन्द्र प्रसाद कुशवाहा द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत की।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'बच्चों द्वारा भीख मांगना' के बारे में श्रीमती रंजीत रंजन, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5615 के संबंध में 28 अप्रैल, 2015 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारणों को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.08 बजे

9. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा दिनांक 9 मई, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.07 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.13 *बजे पुन: समवेत हुई*।)

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.07 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.13 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के राँची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीबीएससी से संबद्ध निजी विद्यालयों द्वारा की गई बेतहाशा फीस वृद्धि को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगों के लिए टैक्स-होलिडे घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा राजस्थान के नागौर में रेण रेलवे स्टेशन पर मण्डोर एक्सप्रेस और जयपुर-जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तिगरी धाम में गंगा नदी के तटों पर तीर्थयात्रियों के लिये पक्के स्नान घाटों और चेंजिंग रूम का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के कस्ता विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर एक अंडरपास का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा मध्य प्रदेश में इंदौर से पिटोल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 को चार लेन बनाने के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुधीर गुप्ता द्वारा मध्य प्रदेश के नीमच स्थित अल्कालॉयड फैक्ट्री तथा देश में अल्कालॉयड क्षेत्र में प्रगति के बारे में।

(9) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के जिले सिद्धार्थनगर के जिन किसानों की जमीन इंडो-नेपाल बोर्डर रोड प्रोजेक्ट के लिये अधिगृहीत की गई है, उन्हें जमीन का उचित मूल्य दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राहुल कस्वां द्वारा रावी और ब्यास नदियों से राजस्थान को इसके हिस्से का जल प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राम चरित्र निषाद द्वारा उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों में समुचित राहत उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा बिहार के बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू कश्मीर के जम्मू में बीएसएनएल की मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ बंशीलाल महतो द्वारा देश में ऐलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक प्रणालियों को समन्वित कर एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की शुरूआत करने तथा आयुर्वेद को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा देश में संसद सदस्यों को उनके संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु शक्तियां दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें समुचित मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में इन्टग्रेटेड डिवेलप्मेंट ऑफ स्मॉल रियूमिनेंट्स स्कीम पुन: शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ तापस मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल में नबद्वीप शहर को नेशनल हेरीटेज सिटी घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री लडू किशोर स्वाइँ द्वारा ओडिशा के गंजम जिले में बावनपुर में एक गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की देवगढ़ तहसील के आनंदवाड़ी गांव में एक फिशिंग पोर्ट के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच बांटे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री भीमराव बी॰ पाटील द्वारा तेलंगाना में व्याप्त सूखे की स्थिति के बारे में।

(23) श्री वाई॰एस॰ अविनाश रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कड़प्पा जिले में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा अजीविका के लिये विदेश जाने वाले भारतीयों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

(25) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा के हिसार रेलवे स्टेशन में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.14 बजे

11. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति हुई

**उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक,* 2015

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव किया कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''छियासठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''सड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, अंक ''2015'' **के स्थान पर** अंक ''2016'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

---

*लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2015 को विधेयक पारित किया गया, और इस पर सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 28 अप्रैल, 2016 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन से लोक सभा को लौटा दिया।

खण्ड 2

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 2 में, अंक ''2015'' **के स्थान पर** अंक ''2016'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया कि इस विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति दी गई।

अपराह्न 2.17 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घंटे 16 मिनट

श्री जगदम्बिका पाल द्वारा कई राज्यों में सूखे और पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति और इस संकट को दूर करने के लिए स्थायी समाधान हेतु नदियों को आपस मे ंजोड़ने तथा जल संसाधन प्रबंधन पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में 5 मई, 2016 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
2. श्री चन्द्रकांत भाउराव खैरे
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
5. श्री मोहम्मद सलीम
6. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
7. श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले
8. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे
9. श्री धर्मेन्द्र यादव
10. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

11. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
12. श्री राजीव शंकरराव सातव
13. श्री चिराग पासवान
14. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
15. श्री राम कुमार शर्मा कुशवाहा
16. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी
17. श्री रावसाहेब पाटील दानवे
18. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
19. चौधरी बीरेन्द्र सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.33 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 11 *मई,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—893LS(S3)—10.05.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 11 मई, 2016/21 वैशाख, 1938 (शक)

संख्या 156

पूर्वाह्न 11.02 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 और 243—245 के मौखिक उत्तर दिए गए।

वे सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 242 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 242 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 246—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं के संबंध में सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर, गुड़गांव के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर, गुड़गांव के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली के एकीकृत भवन उपविधियां, 2016 जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1191(अ) में प्रकाशित हुई थीं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(6) वर्ष 2016-2017 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उपधारा (4) के अंतर्गत सभी मोबाइल फोन हैंडसेटों में संत्रास बटन और भूमंडलीय स्थिति-निर्धारण प्रणाली सुविधा नियम, 2016 जो 22 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 436(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2016 जो 27 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰सा॰का॰नि॰ 199(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अंतिम परीक्षा) विनियम, 2016 जो 2 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 270(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

@(एक) महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 11 मई, 2016 को हुई अपनी बैठक में डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पारित कर दिया है।

$(दो) कि 11 मई, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथ प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 के बारे में सभाओं की संयुक्त समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्यों का नाम निर्देशन करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित किए गए हैं, के नामों की भी सूचना दी है:—

1. श्री अजय संचेती
2. श्री भूपेन्द्र यादव
3. श्री नरेश गुजराल
4. श्री आनन्द शर्मा
5. श्री भुवनेश्वर कालिता
6. श्री प्रफुल्ल पटेल
7. श्री रवि प्रकाश वर्मा
8. श्री के॰ सी॰ त्यागी

@अपराह्न 3.42 बजे

$ सायं 7.21 बजे

9. श्री सुखेन्दु शेखर राय
10. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

6. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय से संबंधित 'गंगा जीर्णोद्धार' विषय पर प्राक्कलन समिति (2016-17) का पंद्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. रेल अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने 'रिक्त रेल भूमि का वाणिज्यिक उपयोग-रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की भूमिका विषय पर रेल अभिसमय समिति (सोलहवीं लोक सभा) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रत्न लाल कटारिया ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. रेल संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री दिनेश त्रिवेदी ने 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 7वें प्रतिवेदन के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 'चिकित्सा सीटें' के बारे में श्री मोहम्मद फैजल, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1016 के संबंध में 29 अप्रैल, 2016 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखे:—

(1) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए लक्षित नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के कार्यकरण को सुदृढ़ किया जाना' के बारे में समिति के 173वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 194वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) विज्ञाान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पृथ्वी विज्ञाान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 273वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा)।

अपराह्न 12.06 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016

12. दोनों सभाओं की संयुक्त समिति (जेपीसी) के गठन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत

लिया गया समय : 2 मिनट

श्री अरूण जेटली ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

''कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993, भारतीय

स्टांप अधिनियम, 1899 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का और संशोधन तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 30 सदस्य शामिल होंगे, इस सभा से 20 सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1. श्री पी॰ पी॰ चौधरी
2. श्री गोपाल शेट्टी
3. श्री सुभाष बहेड़िया
4. श्री निशिकांत दुबे
5. श्री शिवकुमार सी॰ उदासि
6. श्री अनिल शिरोले
7. श्री अभिषेक सिंह
8. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
9. श्री संजय जायसवाल
10. श्री जगदम्बिका पाल
11. श्री जैदेव गल्ला
12. श्री चन्द्रकान्त खैरे
13. श्री चिराग पासवान
14. श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल
15. कुमारी सुष्मिता देव
16. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
17. श्री कल्याण बनर्जी
18. श्री भर्तृहरि महताब
19. श्री बी॰ विनोद कुमार
20. श्री जितेन्द्र चौधरी

तथा राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की एक बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक–तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक इस सभा को एक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में इस सभा की संसदीय समितियों के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो कि अध्यक्ष बनाए; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दस सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.08 बजे

13. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अर्हता प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने, विशेष रूप से परीक्षा के माध्यम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किए:—

1. डॉ॰ (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
2. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
3. श्री राजीव शंकरराव सातव
4. श्री मोहम्मद सलीम
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री हुकुम सिंह
7. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्रीमती कविता कलवकुंतला, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री लक्ष्मण गिलुवा, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्री पी॰पी॰ चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुमारी सुष्मिता देव सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.24 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.33 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.24 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.33 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

1. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बिहार में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार के लिये बिहार सरकार को मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

2. श्री कीर्ति आजाद ने दरभंगा, बिहार में एक सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

3. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने गंगापुर शहर में एक कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

4. श्री रावसाहेब पाटील दानवे ने कृषि क्रियाकलापों को, खासतौर पर महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की कार्य की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

5. श्री गौरव गोगोई ने पूर्वोत्तर भारत में बाल तस्करी को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

6. श्री विष्णु दयाल राम ने पलामू संसदीय क्षेत्र झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के किनारे ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

7. श्री मुकेश राजपूत ने फर्रूखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में नदियों से हो रहे भू-कटाव को रोकने के लिए एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

8. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 पर तुमकुर और होनावार के बीच के हिस्से को चार लेनों में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

9. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान ने रेलवे में जूनियर इंजीनियरों को ग्रुप-ख राजपत्रित दर्जा और सीनियर सेक्शन इंजीनियरों को ग्रुप-ख राजपत्रित दर्जा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

10. श्री प्रताप राव गणपतराव जाधव ने बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में लोनार क्रेटर झील, जोकि एक पर्यटक स्थल है, में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिये पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

11. श्री जैदेव गल्ला ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में तेनाल नगरपालिका में भूमिगत ड्रेनेज परियोजना का अनुमोदन किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

12. श्री शैलेश कुमार ने भागलपुर, बिहार में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

13. श्री राजू शेट्टी ने किसानों द्वारा लिये गए कृषि ऋणों पर जमा ब्याज को माफ किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

14. श्री शरद त्रिपाठी ने एमपीलैड स्कीम के तहत कार्य निष्पादन करने वाली एजेंसियों को चयन करने की शक्तियां संसद सदस्यों को प्रत्यायोजित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

15. श्री कामाख्या प्रसाद तासा ने स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

16. श्री सुशील कुमार सिंह ने मंगल टरबाइन जोकि सिंचाई प्रयोजन हेतु ईंधन रहित टरबाइन है के अविष्कारक को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

17. श्री ओम बिरला ने खेतों को जंगली जानवरों से बचाने के लिये इनकी तारबंदी हेतु पर्याप्त निधियां दिये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

18. श्री लक्ष्मीनारायण यादव ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दी, कापियां और पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

19. श्री नाना पटोले ने सरकारी संगठनों द्वारा चलायी जा रही वेबसाइटों को हैकिंग से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 3.03 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 9 घंटे 20 मिनट

श्री जगदम्बिका पाल द्वारा 5 मई, 2016 को कई राज्यों में सूखे और पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति और इस संकट को दूर करने के लिए स्थायी समाधान हेतु नदियों को आपस में जोड़ने तथा

जल संसाधन प्रबंधन पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री आर॰ ध्रुवनारायण
*2. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
*3. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
*4. श्री जैदेव गल्ला
*5. श्री ए॰टी॰ (नाना) पाटील
*6. डॉ॰ कुलमणि सामल
*7. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
*8. श्री सुकेंद्र रेड्डी गुत्था
*9. श्री हरीश द्विवेदी
10. श्री एन॰ क्रिष्टप्पा
*11. श्रीमती रीती पाठक
*12. श्री ओम बिरला
*13. श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदर
*14. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
*15. श्रीमती अन्जू बाला
*16. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
*17. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
*18. श्री डी॰के॰ सुरेश
*19. श्री जॉजे बेकर
*20. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
*21. डॉ॰ यशवन्त सिंह
*22. श्री थोटा नरसिम्हम
*23. श्री रोडमल नागर

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*24. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
*25. श्री दुष्यंत सिंह
*26. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी
*27. श्री राकेश सिंह
28. श्री वीरेन्द्र सिंह
29. श्री दुष्यंत चौटाला
30. श्री कौशलेन्द्र कुमार
31. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
32. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
33. डॉ॰(श्रीमती) ममताज संघमिता
34. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
35. श्री सुशील कुमार सिंह
36. श्री ताम्रध्वज साहू
*37. श्री किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
38. डॉ॰ धर्मवीर
*39. श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा
*40. श्रीमती रेणुका बुत्ता
41. श्रीमती सावित्री ठाकुर
*42. श्रीमती कविता कलवकुंतला
43. श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह
*44. श्री तथागत सत्पथी
*45. श्री देवजी एम॰ पटेल
*46. डॉ॰ थोकचोम मेन्या
*47. श्री बलभद्र माझी
48. श्रीमती रेखा अरूण वर्मा
49. मौलाना बदरूद्दीन अजमल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*50. श्री रामचरण बोहरा
51. श्रीमती कृष्णा राज
*52. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
*53. श्री चन्द्रप्रकाश जोशी
54. श्री एस॰एस॰ आहूवालिया
55. श्री राजू शेट्टी
*56. श्री रामेश्वर तेली
57. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
58. श्री हरीश चन्द्र मीना
*59. सुश्री साध्वी सावित्री बाई फूले
*60. श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा
#61. श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी

(लोक सभा अपराह्न 5.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.24 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 5.24 बजे

62. श्री भैरो प्रसाद मिश्र
*63. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
64. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
*65. श्री राहुल कस्वां
66. श्री जर्नादन मिश्र
67. श्री प्रेम दास राई
68. डॉ॰ सुनील बलिराम गायकवाड
69. श्रीमती रमा देवी
70. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#उन्होंने सभा के पुन: समवेत होने के पश्चात् अपराह्न 5.24 बजे अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

71. श्री सी॰आर॰ चौधरी
*72. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे
*73. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
*74. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
75. श्री कांतिलाल भूरिया
*76. श्रीमती पूनमबेन माडम
*77. श्री अजय (टेनी) मिश्रा
*78. श्री अश्विनी कुमार चौबे
*79. श्री जुगल किशोर शर्मा
*80. श्री शरद त्रिपाठी
*81. श्रीमती नीलम सोनकर
*82. श्री अजय टम्टा
*83. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल
*84. डॉ॰ तापस मंडल
*85. श्री पी॰पी॰ चौधरी
*86. श्री गोपाल शेट्टी
*87. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
*88. श्री मो॰ बदरूद्दोजा खान
*89. श्री बोध सिंह भगत
*90. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
*91. श्री दद्दन मिश्रा
92. श्री सांवर लाल जाट (हस्तक्षेप किया)

श्री राधा मोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।%

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

%सायं 7.20 बजे।

[@]16. **अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा**

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण, इससे पूर्व कि मैं श्री राधा मोहन सिंह को बुलाऊं, माननीय कृषि मंत्री राज्य सभा द्वारा यथापारित डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय मंत्री ने दिनांक 11 मई, 2016 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016, राज्य सभा द्वारा यथापारित की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।

[#]17. **सरकारी विधेयक—पारित**

डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016, *राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय: 04 मिनट

श्री राधा मोहन सिंह द्वारा विधेयक पर विचार हेतु प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 46 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री राधा मोहन सिंह ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.22 बजे

18. **विदाई संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने सोलहवीं लोक सभा के आठवें सत्र के समापन पर विदाई संबधी उल्लेख किया।

[@]सायं 6.15 बजे।

[#]सायं 6.16 बजे।

सायं 7.31 बजे

19. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

सांय 7.32 बजे

(लोक सभा सायं 7.32 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र

महासचिव

दिनांक 10.05.2016 के समाचार—भाग 2

संख्या 155 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ 15, क्रम सं॰ 19 चौधरी बीरेन्द्र सिंह के स्थान पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह (हस्तक्षेप किया) पढ़ा जाए।

GMGIPMRND—925LS—11-05-2016.